

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 240]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल 2018—चैत्र 30, शक 1940

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2018

क्र. 246-79-सी.सी-18-अड़तीस.—मध्यप्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018 (क्र. 5 सन् 2018) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, 20 अप्रैल 2018 को उस दिनांक के रूप में नियत करती है, जिसको कि उक्त अध्यादेश प्रवृत्त होगा।

No. 246-79-CC-18-XXXVIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Madhya Pradesh Dharmashastra National Law University Ordinance, 2018 (No. 5 of 2018), the State Government, hereby appoints 20th day of April, 2018 as the date on which the said Ordinance shall come into force.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री मिश्रा, अपर सचिव।